

30<sup>12</sup>/<sub>19</sub>

पक्षकारान के अधिवक्तागण उपाचित  
मूल अपील निर्णित की जा चुकी है,  
लिहाजा यह प्रार्थना फल-चलने योग्य नहीं  
होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है  
जब दाखिल वफतार हो।

अपर कलेक्टर वाडपुर  
(प्र.डी.एम.)

